भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3496
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स में भर्तियां

3496. एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एम्स, नई दिल्ली में गत 20 वर्षों के दौरान कार्यकाल के आधार पर सीनियर रेजिडेंट (एसआर), जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और रिसर्च एसोसिएट (आरए) के लिए विभागवार नियमित पदों, कुल नव सृजित पदों की संख्या तथा श्रेणीवार (यूआर, एसईबीसी, एससी, एसटी) की गई भर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सामान्य श्रेणी के एसआर/जेआर/रिसर्च एसोसिएट्स की श्रेणीवार और विभागवार संख्या कितनी है जो एसईबीसी/एससी/एसटी के लिए निर्धारित पदों के अनुबंध के आधार पर या अन्यथा काम कर रहे हैं तथा उनका कार्यकाल माह, वर्ष और अवकाश सहित और सेवा में बिना व्यवधान का कितना रहा है; और

(ग) एम्स, नई दिल्ली में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में ऐसे कर्मचारियों का श्रेणीवार और विभागवार प्रतिशत कितना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सीनियर रेजिडेंट (एसआर) और जूनियर रेजिडेंट (जेआर) के पद सावधिक पद हैं और नए पदों का सृजन और रिक्त पदों पर प्रवेश/भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। एम्स, नई दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट (जेआर) और सीनियर रेजिडेंट (एसआर) की श्रेणीवार वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

जूनियर रेजिडेंट	संस्वीकृत पद संख्या	तैनात	रिक्त
शैक्षिक	1106	975	131
गैर- शैक्षिक	241	189	52

जूनियर रेजिडेंट	तैनात					
	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल
शैक्षिक	440	131	57	259	88	975
गैर- शैक्षिक	92	20	09	49	19	189

सीनियर रेजिडेंट (डी.एम/ एम.सीएच)

संस्वीकृत पद संख्या	तैनात	रिक्त
718	615	103

वरिष्ठ रेजीडेंट शैक्षिक के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

सीनियर रेजिडेंट (गैर- शैक्षिक)	विज्ञापित						भरे गए पद					
	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल
2023	323	199	90	277	52	941	295	65	27	98	19	504
2024	288	186	84	283	46	887	249	58	22	89	22	440
2025	130	89	41	132	27	419	101	33	9	38	9	185

(ख) और (ग): संस्थान में रिसर्च एसोसिएट का कोई नियमित पद नहीं है। रिसर्च एसोसिएट को परियोजना की आवश्यकता के अनुसार निश्चित अवधि के आधार पर विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए नियुक्त किया जाता है।

******